सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट केकडी जिला अजमेर

## राजस्व प्रार्थना पत्र स0 68/2016

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

1. श्रीमति गंगा पत्नि मकना जाति जाट
2. बद्रीलाल ( फौत ) पुत्र मकना जाति जाट जरिये वारिसान कायम मुकाम
   2/1 – गीता देवी पत्नि बद्रीलाल
   2/2 – कमलेश पुत्री बद्रीलाल
   2/3 – परमेश्वर पुत्र बद्रीलाल
3. प्रहलाद पुत्र मकना जाति जाट
4. रामकन्या पुत्री मकना जाति जाट

   समस्त निवासीगण काचरिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

————प्रार्थीगण

♠बनाम♠

1. भंवरलाल पुत्र हरनाथ जाति जाट
2. नन्दकिशोर पुत्र नाथूदास जाति वैष्णव
3. दशरथ पुत्र नाथूदास जाति वैष्णव

   समस्त निवासीगण काचरिया तहसील केकडी जिला अजमेर राजस्थान

———अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

**निर्णय**

दिनांक 02.06.18

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प भीमडावास तहसील केकड़ी जिला अजमेर में पेश हुई। संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है–

प्रार्थीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम काचरिया तहसील केकड़ी के जमाबन्दी संवत 2068–71 के खाता संख्या 31 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 963 रकबा 0.11 है. किस्म चाही.1 भूमि में प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है जिस पर प्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त है। उक्त आराजीयात को अप्रार्थीगण बिना किसी हक अधिकार के नष्ट भ्रष्ट व बाधा उत्पन्न कर रहें है जिसके कारण प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण एवं उनके नोकर, चाकर, हाली, सीरी सगे सम्बन्धी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जावे कि प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा नही डाले ना ही ना किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें जिससे प्रार्थीगण को अपने कब्जे काश्त की आराजीयात से बेदखल हो।

हमने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। वकूलाय फरिकेन उपस्थित। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु मौके दिये गये। अप्रार्थीगण का जवाब पेश नही हुआ।

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प भीमडावास में पेश हुई जहां प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण उपस्थित। उपस्थित पक्षकारान को सुनने के बाद जाहिर हुआ कि प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात है जिसको अप्रार्थीगण बिना किसी हक अधिकार के नष्ट भ्रष्ट व बाधा उत्पन्न कर रहें। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र प्राईमाफेसाई केस होना पाया जाता है तथा प्रार्थना पत्र का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में होना पाया जाता

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाके ग्राम काचरिया तहसील केकड़ी के जमाबन्दी संवत 2068–71 के खाता संख्या 31 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 963 रकबा 0.11 है. किस्म चाही.1 भूमि का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे मूलवाद निस्तारण होने तक प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, बाधा उत्पन्न न करें एव ना ही प्रार्थनापत्र वर्णित आराजी में किसी प्रकार का निर्माण आदि करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमें आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी